समाहरणालय, मधेपुरा।

(विधि शाखा)

-: आदेश :-

प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा के पत्रांक 18(विविध), दिनांक 27-03-2017 के द्वारा सूचित किया गया है कि व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा का न्यायालय कार्य प्रातःकालीन हो जाने के कारण दिनांक 01-04-2017 से 24-06-2017 तक प्रातःकालीन 6.30 पूर्वा0 से 12.30 अप0 तक निर्धारित किया गया है। फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी का न्यायालय कार्य दिवस पूर्व निर्धारित समयावधि में आंशिक परिवर्त्तन करते हुए निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

क0	माह का नाम	कार्य दिवस	निर्धारित समय
01.	अप्रैल 2017 से जून 2017 तक (केवल प्रातःकालीन न्यायालय कार्य चालू रहने तक)	मंगलवार एवं शनिवार	12.30 बजे अप0 से

पूर्व से शुक्रवार को जो तिथि/वाद आवंटित किया गया है, उसकी सुनवाई दूसरे दिन यथा शनिवार को निर्धारित समय पर की जाऐगी।

सभी अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त विवरणी में निर्धारित कार्य दिवस एवं समय के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होकर अपना- अपना पक्ष रखेंगे।

पूर्व निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय। इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 205 /विधि, मधेपुरा, दिनांक 03-04-2017

प्रतिलिपि : अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, बार एसोसिएशन, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी अधिवक्तागण को सूचित करने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपि : लोक अभियोजक, मधेपुरा/ सरकारी वकील, मधेपुरा/ विशेष लोक अभियोजक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा को उनके पत्रांक 18(विविध), दिनांक 27-03-2017 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

3/4/17

समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।